राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारीः– अमित कुमार वर्मा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 14/21 (T.I.)

उनवान

1. भीखाराम पुत्र स्व. श्री सोन्या
2. लाडवाई पत्नी स्व. श्री सोन्या
3. मूल्या पुत्र स्व. श्री रामधन

जाति मीना निवासी गोपालगढ तहसील मंडावर जिला दौसा

——सायलान/प्रार्थीगण

बनाम

1. सरवन पुत्र स्व. श्री रामधन जाति मीना निवासी गोपालगढ तहसील मण्डावर
2. इमरती देवी पत्नी राजूलाल जाति मीना निवासी भोजपुर गढहिम्मतसिंह तहसील मण्डावर
3. उप पंजीयक सह तहसीलदार तहसील मंडावर जिला दौसा
4. राज. सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा

——गैरसायलान/ अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1. श्री जितेन्द्र सिंह एडवोकेट– गैरसायलान

निर्णय

दिनांक – 31.03.2022

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.60 हैक्टे. ख.न. 96 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 97 रकबा 0.84 हैक्टे. कुल किता 4 रकबा 1.74 हैक्टे. जो कि वाके ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर पटवार हल्का रायपुर जिला दौसा में स्थित है जिसके सायलान एवं गैरसायल नं. 1 खातेदार काश्तकार है तथा इनकी संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें सायलान एवं गैरसायलान नं. 1 का 1/3 बहिस्सा बराबर मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2072–2075 व वर्तमान दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सायलान व गैरसायलान के मध्य विविधत तकास्मा नही होने के कारण वादग्रस्त आराजी पर सायलान एवं गैरसायलान शामिल में काश्त करते चले आ रहे है। गैर सायल नं. 2 ईमरती देवी ने गैरसायल नं. 1 सरवन का आराजी वादग्रस्त वर्णित मद नं. 2 प्रार्थना पत्र का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 10.06.2020 को कय कर लिया है जिसका कोई प्रतिफल गैरसायल नं 2 ने गैर सायल नं 1 को नही दिया एवं उसका नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 07.10.2020 के रूप में जमाबंदी निकलवाने पर गैरसायल 2 इमरती देवी नाम का नोट का अंकन होना प्रकियाधीन पाया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.11.2020 कों गैर सायलान नं. 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि गैर सायलान नंम्बर 1 व 2 आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.60 हैक्टे. ख.न. 96 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 97 रकबा 0.84 हैक्टे. कुल किता 4 रकबा 1.74 हैक्टे. जो कि वाके ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर पटवार हल्का रायपुर जिला दौसा में स्थित है, के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। गैर सायलान संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2021 को प्रस्तुत किया कि सायलान व गैरसायलान अपने अपने हिस्सों पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है, गैर सायलान कभी भी सायल के उपयोग व उपभोग में कोई बांधा उत्पन्न नही करते है, उक्त प्रार्थना पत्र गलत व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

वकील गैरसायलान की बहस सुनी गई। वकील गैर सायलान द्वारा अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील गैरसायलान की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी ग्राम गोपालगढ संवत् 2072–75 विवादित भूमि खसरा नम्बर 59, 86, 96, 97 के प्रार्थियान 01, 02, 03 रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उक्त भूमि का खातेदारों के मध्य विधिवत तकास्मा नही हुआ है। बिना विधिवत तकास्मा किये भूमि का बेचान किये जाने से वाद बहुलता बढती है जिससे प्रार्थीयान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.60 हैक्टे. ख.न. 96 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.नं. 97 रकबा 0.84 हैक्टे. कुल किता 4 रकबा 1.74 हैक्टे. वाके ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर पटवार हल्का रायपुर जिला दौसा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम गोपालगढ तहसील मण्डावर के आराजी खसरा नम्बर 59, 86, 96, 97 में सायल के हिस्से 1/3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करें और नही अपने किसी एजेन्ट

Scanned with CamScanner

से कराये, सायलान को शांति पूर्वक काश्त करने देवे, सायलानन को अपने कब्जे काश्त सें बेदखल नही करे व ऐसा कोई कार्य नही करे जिस्से हक हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पडे । राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा,RAS)
उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)

Scanned with CamScanner